

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 57

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	26800.00	1050.00	27850.00	24380.00	1526.57	25906.57	26050.00	1999.21	28049.21
पूँजी	120.00	...	120.00	750.00	...	750.00
जोड़	26800.00	1050.00	27850.00	24500.00	1526.57	26026.57	26800.00	1999.21	28799.21
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	3.30	3.30	...	3.50	3.50	...	4.02
सामान्य शिक्षा									
प्राथमिक शिक्षा									
2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण	2202	1.30	...	1.30	0.80	...	0.80	1.30	...
	3601	428.70	...	428.70	277.22	...	277.22	428.70	...
	3602	20.00	...	20.00	7.25	...	7.25	20.00	...
	जोड़	450.00	...	450.00	285.27	...	285.27	450.00	...
3. महिला समाख्या	2202	38.00	...	38.00	38.00	...	38.00	38.00	...
4. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2202	6.30	3.20	9.50	11.30	4.05	15.35	6.30	5.23
5. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ईएपी)	2202	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	0.01	...
6. स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202	1424.00	...	1424.00	1424.00	...	1424.00	1424.00	...
	3601	574.00	...	574.00	847.00	...	847.00	422.00	...
	3602	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...
	जोड़	2073.00	...	2073.00	2346.00	...	2346.00	1921.00	...
7. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	2202	4249.98	...	4249.98	4659.65	...	4659.65	4239.23	...
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...
	जोड़	4250.00	...	4250.00	4659.67	...	4659.67	4239.25	...
8. प्राथमिक शिक्षा कोष को अंतरण (पीएसके)	2202	12817.00	...	12817.00	12134.33	...	12134.33	12973.67	...
9. प्राथमिक शिक्षा कोष से वित्तपोषित स्कीमें									
9.1 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202
	3601	5127.00	...	5127.00	4854.00	...	4854.00	5279.00	...
	3602
	जोड़	5127.00	...	5127.00	4854.00	...	4854.00	5279.00	...
9.2 सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	2202	7690.00	...	7690.00	7280.33	...	7280.33	7694.67	...
	3601
	3602
	जोड़	7690.00	...	7690.00	7280.33	...	7280.33	7694.67	...
प्राथमिक शिक्षा कोष से ली गई राशि (पीएसके)	2202	-7690.00	...	-7690.00	-7280.33	...	-7280.33	-7694.67	...
	3601	-5127.00	...	-5127.00	-4854.00	...	-4854.00	-5279.00	...
	3602
	जोड़	-12817.00	...	-12817.00	-12134.33	...	-12134.33	-12973.67	...
10. मदरसों में गुणता मूल्य शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम)	2202	2.50	...	2.50
	3601	42.49	...	42.49
	3602	0.01	...	0.01
	जोड़	45.00	...	45.00
11. अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजनाएं (आईडीएमआई)	2202	0.01	...	0.01
	3601	4.48	...	4.48
	3602	0.01	...	0.01
	जोड़	4.50	...	4.50
12. सरकारी स्थानीय निकाय के स्कूलों में एक वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता	2202	89.98	...	89.98
	3601	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01
	जोड़	90.00	...	90.00
जोड़ प्राथमिक शिक्षा		19774.30	3.20	19777.50	19484.57	4.05	19488.62	19677.73	5.23
माध्यमिक शिक्षा									
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद*	2202	36.00	65.05	101.05	17.13	78.21	95.34	36.00	97.41
14. केंद्रीय विद्यालय संगठन*	2202	270.00	749.00	1019.00	270.00	1151.00	1421.00	270.00	1512.83
15. नवोदय विद्यालय समिति*	2202	630.00	204.25	834.25	1161.00	259.87	1420.87	1170.00	341.29
16. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2202	983.46	...
	3601	150.00	...
	3602	10.00	...
	जोड़	1143.46	...
17. उत्कृष्टता के बैंच मार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना	2202	282.00	...
	3601	30.00	...
	3602	0.90	...
	जोड़	312.90	...
18. विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी*	2202	22.00	...	22.00	7.00	...	7.00	22.00	...
	3601	244.00	...	244.00	259.00	...	259.00	244.00	...
	3602	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...
	जोड़	270.00	...	270.00	270.00	...	270.00	270.00	...
19. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	2202	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	3601	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
	3602	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	जोड़	63.00	...	63.00	63.00	...	63.00

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009	आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
20. माध्यमिक विद्यालय के विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा	2202	1.50	...	1.50
	3601	60.00	...	60.00
	3602	1.50	...	1.50
	जोड़	63.00	...	63.00
21. राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान*	2202	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
22. सुलभता और साम्यता	2202	0.27	...	0.27	0.01	...	0.01
	3601
	3602
	जोड़	0.27	...	0.27	0.01	...	0.01
23. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन	2202	6.00	20.40	26.40	6.00	24.71	30.71	6.00	32.00	38.00
24. शिक्षा का व्यावसायीकरण	2202	6.00	...	6.00	1.00	...	1.00	6.00	...	6.00
	3601	25.80	...	25.80	5.00	...	5.00	25.80	...	25.80
	3602	1.50	...	1.50	0.30	...	0.30	1.50	...	1.50
	जोड़	33.30	...	33.30	6.30	...	6.30	33.30	...	33.30
25. माध्यमिक स्तर पर सर्वसुलभ पहुँच और गुणवत्ता की योजना (सक्सेस)	2202	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00
	3601	1927.50	...	1927.50	206.00	...	206.00
	3602	35.00	...	35.00	15.00	...	15.00
	जोड़	1966.50	...	1966.50	224.00	...	224.00
26. माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम (एक्सेस)	2202	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
	3601	42.50	...	42.50	212.09	...	212.09	42.50	...	42.50
	3602	1.50	...	1.50	6.93	...	6.93	1.50	...	1.50
	जोड़	45.00	...	45.00	221.02	...	221.02	45.00	...	45.00
27. राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना	2202	108.00	...	108.00
	3601
	3602
	जोड़	108.00	...	108.00
28. नए आदर्श विद्यालय	2202	582.78	...	582.78	1.00	...	1.00
	3601	0.01	...	0.01	120.00	...	120.00
	3602	0.01	...	0.01	9.00	...	9.00
	जोड़	582.80	...	582.80	130.00	...	130.00
29. 2000 केजीबीवी का उन्नयन (आवासीय विद्यालय, छात्रवास/बालिका छात्रवास)	2202	71.98	...	71.98	1.00	...	1.00
	3601	0.01	...	0.01	31.00	...	31.00
	3602	0.01	...	0.01	4.00	...	4.00
	जोड़	72.00	...	72.00	36.00	...	36.00
30. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रवास निर्माण और संचालन की योजना	2202	4.50	...	4.50
	3601	49.00	...	49.00
	3602	0.50	...	0.50
	जोड़	54.00	...	54.00
31. भाषा अध्यापकों की नियुक्ति*	2202	0.01	...	0.01
	3601	14.38	...	14.38
	3602	0.01	...	0.01
	जोड़	14.40	...	14.40
32. IX से XII कक्षाओं में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना घटाइए-सामाजिक अवसरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	6202	761.54	...	761.54	750.00	...	750.00
	6202	-641.54	...	-641.54
	निवल	120.00	...	120.00	750.00	...	750.00
33. अन्य कार्यक्रम*	2202	1.00	2.40	3.40	1.00	2.28	3.28	1.00	2.60	3.60
जोड़-माध्यमिक शिक्षा		4098.60	1041.10	5139.70	2540.72	1516.07	4056.79	4184.07	1986.13	6170.20
प्रौढ़ शिक्षा										
34. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना	2202	317.10	...	317.10	90.00	...	90.00	283.50	...	283.50
35. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता	2202	63.00	...	63.00	82.71	...	82.71	109.42	...	109.42
36. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2202	10.80	1.92	12.72	10.80	2.41	13.21	10.80	3.18	13.98
37. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2202	...	0.07	0.07	...	0.06	0.06	2.18	0.07	2.25
	2251
	जोड़	...	0.07	0.07	...	0.06	0.06	2.18	0.07	2.25
38. 35 वर्ष और अधिक आयु समूह के लिए साक्षरता कार्यक्रम	2202	14.98	...	14.98
	3601	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01
	जोड़	15.00	...	15.00
39. अन्य कार्यक्रम	2202	...	0.41	0.41	...	0.48	0.48	...	0.58	0.58
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा		405.90	2.40	408.30	183.51	2.95	186.46	405.90	3.83	409.73
40. उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान										
प्राथमिक शिक्षा										
40.1 अध्यापक शिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण	2552	50.00	...	50.00	22.07	...	22.07	50.00	...	50.00

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
40.2 राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2552	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	...	0.70
40.3 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2552	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00	...	800.00
40.4 सर्वशिक्षा अभियान	2552	1160.00	...	1160.00	1160.00	...	1166.08	...	1166.08
40.5 स्थानीय निकाय के स्कूलों में एक वर्ष नर्सरी सहायता	2552	10.00	...	10.00
40.6 मदरसों में गुणवतामूलक शिक्षा प्रदान करने की योजना	2552	5.00	...	5.00
40.7 अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजना	2552	0.50	...	0.50
जोड़-प्राथमिक शिक्षा	2020.70	...	2020.70	1982.77	...	1982.77	2022.28	...	2022.28
माध्यमिक शिक्षा									
40.8 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	2552	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	4.00
40.9 केंद्रीय विद्यालय संगठन	2552	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	...	30.00
40.10 नवोदय विद्यालय समिति	2552	70.00	...	70.00	129.00	...	130.00	...	130.00
40.11 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2552	210.52	...	210.52
40.12 उत्कृष्टता के बेंच मार्क के रूप में 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने की योजना	2552	37.10	...	37.10
40.13 विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	2552	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	...	30.00
40.14 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	2552	7.00	...	7.00	7.00
40.15 माध्यमिक विद्यालय में विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा	2552	7.00	...	7.00
40.16 सुलभता और समानता	2552
40.17 शिक्षा का व्यावसायीकरण	2552	3.70	...	3.70	0.70	...	0.70	...	3.70
40.18 माध्यमिक स्तर पर सर्वसुलभ पहुँच और गुणवत्ता की योजना (सक्सेस)	2552	218.50	...	218.50	36.00	...	36.00
40.19 माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम	2552	5.00	...	5.00	29.53	...	29.53	5.00	...
40.20 राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना	2552	12.00	...	12.00
40.21 नए आदर्श विद्यालय	2552	67.20	...	67.20	20.00	...	20.00
40.22 2000 केजीबीवी का उन्नयन (आवासीय विद्यालय, छात्रवास/बालिका छात्रवास)	2552	8.00	...	8.00	4.00	...	4.00
40.23 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा संचालन हेतु योजना	2552	6.00	...	6.00
40.24 भाषा अध्यापकों की नियुक्ति	2552	1.60	...	1.60
जोड़-माध्यमिक शिक्षा	455.40	...	455.40	290.23	...	290.23	464.92	...	464.92
प्रौढ़ शिक्षा									
40.25 प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना	2552	36.90	...	36.90	10.00	...	10.00	31.50	...
40.26 प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता	2552	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	12.16	...
40.27 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2552	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	...	1.20
40.28 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2552	0.24	...	0.24
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा	45.10	...	45.10	18.20	...	18.20	45.10	...	45.10
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रावधान	2521.20	...	2521.20	2291.20	...	2291.20	2532.30	...	2532.30
कुल जोड़	26800.00	1050.00	27850.00	24500.00	1526.57	26026.57	26800.00	1999.21	28799.21
ग. आयोजना परिव्यय									
केंद्रीय योजना									
1. सामान्य शिक्षा	22202	24278.80	...	24278.80	22208.80	...	22208.80	24267.70	...
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	2521.20	...	2521.20	2291.20	...	2291.20	2532.30	...
जोड़-केंद्रीय योजना	26800.00	...	26800.00	24500.00	...	24500.00	26800.00	...	26800.00

टिप्पणी : * उच्चतर शिक्षा विभाग (मांग सं. 58) से अंतरित

1. **सचिवालय:** इसमें सचिवालय व्यय हेतु व्यवस्था है।

2. **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण:** प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों के सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिये और प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिये अकादमिक संसाधन सहायता का प्रावधान करने के लिये दोस सांस्थानिक बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिये 1987 में शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन तथा पुनर्संरचना की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गयी थी।

3. **महिला समाख्या कार्यक्रम:** महिला समाख्या स्कीम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निहित उद्देश्यों के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों की महिलाओं की शिक्षा और अधिकारिता के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए लागू किया गया था। इस समय यह स्कीम ग्यारह राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कार्यान्वित की जा रही है।

4. **राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली:** राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा 1956 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्ष की आयु समूह के बच्चों, विशेषकर सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए योगदान करता रहा है।

5. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम:** यह स्कीम 31.03.2009 को समाप्त हो जाएगी। तदनुसार 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान बाद में उपगत किए जाने वाले अप्रत्याशित व्यय के लिए रखा गया है।

6. **स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम:** प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम बच्चों के नामांकन, उन्हें स्कूलों में बनाए रखने तथा उनकी उपस्थिति में वृद्धि करने तथा साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1995 को प्रारंभ में देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया था। धीरे-धीरे इसका विस्तार किया गया तथा देश के सभी ब्लॉकों में प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को शामिल किया गया। अक्टूबर, 2007 में स्कीम को और संशोधित किया गया तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में अपर प्राथमिक स्तर (कक्षा VI से VII तक) के बच्चों को शामिल किया गया। वर्ष 2008-09 से कार्यक्रम को देश के सभी क्षेत्रों में अपर प्राथमिक स्तर (कक्षा I से VIII) तक के सभी बच्चों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

7. **सर्व शिक्षा अभियान:** सर्वशिक्षा अभियान राज्यों/संघशासित प्रदेशों की सरकारों की सहभागिता से भारत सरकार द्वारा संचालित देश में सर्व सुलभ शिक्षा परियोजना को शुरू करने हेतु एक राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम है तथा प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने में वृद्धि करने तथा गुणवत्ता सुधार हेतु इसे देश के सभी जिलों में शुरू किया गया है। 10वीं योजना के दौरान केन्द्र तथा राज्यों के बीच खर्च की हिस्सेदारी 75:25 थी (पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राज्यों के 15 प्रतिशत हिस्से का वहन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था)। 11वीं योजना अवधि के लिए निधियन पैटर्न को संशोधित किया गया है जो कि योजना के पहले दो वर्षों के लिए 65:35, तीसरे वर्ष के लिए 60:40 तथा चौथे वर्ष के लिए 55:45 और उसके बाद के लिए 50:50 होगा। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में कार्यक्रम के अंतर्गत निधियन पैटर्न 90:10 होगा जिसमें केन्द्र के हिस्से के संसाधन सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में से पूर्वोत्तर राज्यों हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत निधियों में से उपलब्ध कराए जाएंगे।

शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में महिला-पुरुष समानता को प्रोत्साहित करने हेतु बालिकाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए दो अतिरिक्त घटक इस प्रकार हैं : (i) प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम; तथा (ii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि एक अलग स्कीम थी, को वर्ष 2007-08 से सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया है।

8. **प्रारंभिक शिक्षा कोष:** "वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के द्वारा सभी प्रमुख केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर लगाकर दिनांक 14.11.2005 से प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना शिक्षा उपकर की आय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित अव्यपगत निधि के रूप में की गई थी।

10. **मदरसों में गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं:** मदरसों

में गुणवत्ता मूलक सुधार लाने के लिए और बच्चों को औपचारिक शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाने हेतु एक संशोधित योजना अनुमोदित की गई है।

11. **अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसरचना विकास हेतु योजना:** अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसरचना विकास हेतु योजना के रूप में क्षेत्र-गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम संशोधित किया गया है। संशोधित योजना को दिसंबर 2008 से अनुमोदित किया गया है।

13. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद:**

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को अपनी नीतियों और मुख्य कार्यक्रमों, जिनमें शिक्षा विशेषकर विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता मूलक सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा को अंतिम रूप देना भी शामिल है, को बनाने और कार्यान्वित करने में सहायता और परामर्श देने के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में की थी। वर्ष 2006-07 से, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालयों में पर्यावरण प्रबंधन, विद्यालयों में योग शुरू करना और अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड घटकों से युक्त विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार स्कीम को कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अंतरित कर दिया गया है।

14. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन:** केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना पंजीकृत निकाय के रूप में 1965 में की गई थी जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित है ताकि केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जा सके। केन्द्रीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

15. **नवोदय विद्यालय समिति:** गति निर्धारक आवासीय स्कूलों जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के उत्कृष्ट बच्चों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा दी जा सके, की स्थापना पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986 (1992 में यथा- संशोधित) के अनुसरण में भारत सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 1986 में केन्द्रीय स्कीम आरंभ की थी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 1986 में स्थापित स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस समय कुल 561 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

16. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए योजना:** सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के अनुसरण में, जो उच्च प्राथमिक स्तर पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि में परिणामी हुई, माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच की बढ़ती मांग को पूरा करना आवश्यक समझा गया। तदनुसार, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक नई योजना को क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है।

17. **उत्कृष्टता के बैचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालय स्थापित करने की योजना:** प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त 2007, को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ 6000 नए उच्च गुणतामूक विद्यालय देय के प्रत्येक ब्लॉक में एक की स्थापना की घोषणा की थी। इन घोषणा के अनुसरण में, क्रियान्वयन हेतु एक नई योजना अनुमोदित की गई है।

18. **विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (विद्यालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी):** स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (आईसीटी @ स्कूल) को स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन तथा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की मौजूदा स्कीमों को विलय करके किया गया था और इसे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल अन्तर को समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए लागू किया गया था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्कीम के तहत केन्द्र सरकार, 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शेष 25 प्रतिशत निधियों का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र करते हैं। इस स्कीम में राज्य सरकार के अंशदान के अतिरिक्त अथवा इसके विकल्प के रूप में एम.पी.एल.ए.डी. स्कीम से भी अंशदान की व्यवस्था की गई है। विशेष श्रेणी के राज्यों को 90:10 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

20. **माध्यमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा:** विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1974 में शुरू की

गई थी। इस स्कीम में सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ताकि सामान्य विद्यालय पद्धति में उन्हें शामिल करने और अन्ततः इसमें उन्हें बनाए रखने को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह स्कीम राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के शिक्षा विभागों तथा इस स्कीम के गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसके घटकों में शैक्षिक सहायता, सहायक उपस्कर, विशेष शिक्षक के वेतन तथा विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। इस स्कीम के तहत केवल माध्यमिक स्तर को शामिल करने के प्रयोजनार्थ इसमें संशोधन किया गया है।

21. **राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान** : राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहा जाता था, की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अपने शैक्षिक, जीवन संवर्धन तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के जरिए प्राथमिक से प्री-डिग्री स्तर तक दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना है। यह औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में स्कूल स्तर पर मुक्त अध्ययन प्रणाली के जरिए शिक्षा प्रदान करता है।

22. **अभिगम्यता तथा इक्विटी** : इस योजना को बंद कर दिया गया है। बकाया भुगतानों के लिए 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

23. **केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन** : केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन की स्थापना 1961 में स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इधर-उधर रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसायटी प्रशासन के 79 विद्यालय हैं।

24. **शिक्षा का व्यावसायीकरण** : जैसी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में परिकल्पना की गई है, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की व्यवस्था शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण के लिए की गई है ताकि अलग-अलग व्यष्टियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके, उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान करने के लिए कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम किया जा सके। इस स्कीम के तहत कृषि, बिजनेस और वाणिज्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य और पैरा-मेडिकल, समाज विज्ञान, मानविकी इत्यादि के क्षेत्रों में +2 स्तर पर रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। योजना को संशोधित किया जा रहा है।

26. **माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम**: वर्ष 2006-07 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अध्ययन कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई है।

30. **माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन की योजना**: माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत,

प्रत्येक शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में एक बालिका छात्रावास (कुल लगभग 3500) की स्थापना की जानी है। छात्रावास केजीबीवी में अवस्थित होंगे, जहां भी व्यवहार्य हो, तथा इन्हें उनकी व्यवहार्यता के आधार पर आवासीय माध्यमिक विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा।

31. **भाषाई अध्यापकों की नियुक्ति** : इस योजना के तहत सहायता गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में विद्यालयों में हिन्दी अध्यापकों शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले ब्लॉकों या जिलों में उर्दु अध्यापकों तथा संविधान की आठवीं सूची में सूचीबद्ध किसी भाषा, जिसे तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, के आधुनिक भारतीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए दी जाती है।

32. **कक्षा IX से XII तक अध्ययन के लिए राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति**: वर्ष 2007-08 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में भारतीय स्टेट बैंक में एक संचित निधि का सृजन करने के लिए एक योजना का निरूपण किया गया है। इसकी प्राप्तियों का प्रयोग कक्षा IX से XII में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 छात्रवृत्तियों का संवितरण करने के लिए किया जाएगा।

33. **अन्य कार्यक्रम**: इनमें (क) संयुक्त भारत-मंगोलिया विद्यालय, ऊलान बातार के लिए सहायता और (ख) शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था शामिल है।

34. **प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना**: साक्षरता अभियान और आपरेशन रेस्टोरेशन तथा नव-साक्षरों के लिए सतत शिक्षा की मौजूदा योजनाओं को प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास कार्यक्रम की नई योजना में मिला दिया गया है।

35. **प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता** : इस नई स्कीम में प्रौढ़ शिक्षा हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता तथा जन शिक्षण संस्थान की वर्तमान योजनाओं को मिला दिया गया है। इस योजना के तहत 15-35 वर्ष आयु-वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित राज्य संसाधन केंद्रों को इस योजना के तहत सहायता प्राप्त होगी।

36. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय** : प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। यह निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में गठित किया गया था जिसका उद्देश्य देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना था। केन्द्र सरकार प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का पूर्णतः वित्त पोषण करती है।

37. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण**: राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1988 में विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्वायत्त स्कंध के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए की गई थी।